



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दिनांक 23/12/2024
क्षेत्रीय कार्यालय - सागर

7, सिविल लाईन्स, सागर (म.प्र.) 470001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है की नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति - दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	ऋणखाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति - दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक	साम्य बंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य
		आधिपत्य दिनांक		अग्रिम धरोहर जमा राशि
		बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	बिड वृद्धि राशि	
1.	मे. अनुज ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रोपराइटर -स्व. श्री अशोक चौधरी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल चौधरी विधिक उत्तराधिकारी- 1) श्रीमति प्रमिला चौधरी पति स्व. श्री अशोक चौधरी, 2) सुश्री वैशाली चौधरी पुत्री स्व. श्री अशोक चौधरी, 3) श्री अक्षय चौधरी पुत्र स्व. श्री अशोक चौधरी, 4) सुश्री श्रद्धा चौधरी पुत्री स्व. श्री अशोक चौधरी, 5) श्री यश चौधरी पुत्र स्व. श्री अशोक चौधरी,	01.09.2022 17.01.2023 ₹ 3,41,79,738/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि/भवन: वार्ड क्र 19, पालीवालवाडा, तहसील व जिला अशोक नगर (म.प्र.)। कुल क्षेत्रफल 1035.67 वर्गफुट (उ-13' 6" , द-21' 0" , पू-60' 5" , प-60' 0")- चतु:सीमा - उत्तर: गली रास्ता, पूर्व: स्व. श्री अशोक चौधरी की संपत्ति, दक्षिण: अन्य स्थावार संपत्ति - चौधरी, पश्चिम: पालीवाल परिवार संपत्ति। संपत्ति स्वामी - श्रीमति प्रमिला चौधरी पति स्व. श्री अशोक चौधरी	54,43,000 5,44,300 20,000
2.	विधिक उत्तराधिकारी- 1) श्रीमति प्रमिला चौधरी पति स्व. श्री अशोक चौधरी, 2) सुश्री वैशाली चौधरी पुत्री स्व. श्री अशोक चौधरी, 3) श्री अक्षय चौधरी पुत्र स्व. श्री अशोक चौधरी, 4) सुश्री श्रद्धा चौधरी पुत्री स्व. श्री अशोक चौधरी, 5) श्री यश चौधरी पुत्र स्व. श्री अशोक चौधरी,		साम्य बंधक भूमि/भवन: वार्ड क्र 19, पालीवालवाडा, तहसील व जिला अशोक नगर (म.प्र.) - कुल क्षेत्रफल 980 वर्गफुट (16 X 61.3 = 980 वर्गफुट)। चतु:सीमा- उत्तर- गली रास्ता, पूर्व- चौधरी परिवार का मकान, दक्षिण- अन्य स्थावार संपत्ति, पश्चिम- श्रीमति प्रमिला चौधरी की संपत्ति। संपत्ति स्वामी - संपत्ति स्वामी - स्व. श्री अशोक चौधरी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल चौधरी द्वारा विधिक उत्तराधिकारी 1) श्रीमति प्रमिला चौधरी पति स्व. श्री अशोक चौधरी, 2) सुश्री वैशाली चौधरी पुत्री स्व. श्री अशोक चौधरी 3) श्री अक्षय चौधरी पुत्र स्व. श्री अशोक चौधरी 4) सुश्री श्रद्धा चौधरी पुत्री स्व. श्री अशोक चौधरी 5) श्री यश चौधरी पुत्र स्व. श्री अशोक चौधरी	
3.	जमानतदार - श्रीमति प्रमिला चौधरी पति स्व. श्री अशोक चौधरी		नोट: उपरोक्त संपत्ति क्र 1 एवं 2 का नीलामी विक्रय सम्मिलित रूप में किया जाएगा (कुल क्षेत्रफल - 2015.67 वर्गफुट)	
4.	मे. जीवन इंडस्ट्रीज द्वारा : श्री अक्षय चौधरी पिता स्व. श्री अशोक चौधरी, जमानतदार - श्रीमति प्रमिला चौधरी पति स्व. श्री अशोक चौधरी	07.07.2022 17.01.2023 ₹ 1,32,80,766/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि/भवन: प्लॉट नं. 221 का भाग, वार्ड क्र 21, गौशाला वार्ड, अशोक नगर (म.प्र.)। क्षेत्रफल - 13718.29 वर्गफुट। संपत्ति स्वामी - श्रीमति प्रमिला चौधरी पति स्व. श्री अशोक चौधरी। चतु:सीमा - उत्तर- सीसी गली, पूर्व- श्रीमती प्रमिला चौधरी की संपत्ति, दक्षिण- श्रीमती प्रमिला चौधरी का गोदाम, पश्चिम- रोड	4,51,00,000 45,10,000 10,000
			नोट: उपरोक्त संपत्ति क्र 3 एवं 4 का नीलामी विक्रय सम्मिलित रूप में किया जाएगा (कुल क्षेत्रफल - 27470.6 वर्गफुट)	

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल <http://ebkgray.in> पर उपलब्ध लिंक देखें। संबंधित जानकारी हेतु शाखा प्रबंधक - शाखा अशोकनगर (म.प्र.) - (मो. 9755144198) / क्षेत्रीय कार्यालय सागर प्राधिकृत अधिकारी (मो. 9522285811) से संपर्क कर सकते हैं।

ये संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

स्थान: सागर, दिनांक: 16.11.2024

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी



REGIONAL OFFICE – SAGAR

**** अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 23.12.2024****
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
23.12.2024 समय: दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक	21.12.2024 साँय 5.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।

ई-नीलामी सूचना में वर्णित संपत्ति क्र 1 एवं 2 निकटवर्ती अगल बगल है – अतः उक्त दोनों संपत्ति का सम्मिलित होकर कुल क्षेत्रफल – 2015.67 वर्गफुट की नीलामी विक्रय एक लॉट में किया जाएगा [कुल क्षेत्रफल - संपत्ति क्र (1) 1035.67व.फु + संपत्ति क्र (2) 980 व.फु = 2015.67 वर्गफुट]

ई-नीलामी सूचना में वर्णित संपत्ति क्र 3 (खाता - मे. अनुज ट्रेडिंग कंपनी) एवं संपत्ति क्र 4 (खाता - मे. जीवन इंडस्ट्रीज़) निकटवर्ती अगल बगल है – अतः उक्त दोनों संपत्ति का सम्मिलित होकर कुल क्षेत्रफल – 27470.6 वर्गफुट की नीलामी विक्रय एक लॉट में किया जाएगा [कुल क्षेत्रफल - संपत्ति क्र 3- (खाता - मे. अनुज ट्रेडिंग कंपनी) 13718.29 व.फु + संपत्ति क्र 4 - (खाता - मे. जीवन इंडस्ट्रीज़) 13752.31 व.फु = 27470.6 व.फु.]

2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://ebkray.in> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक 23.12.2024 को (समय: दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
3. ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://ebkray.in>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- मे. PSB Alliance द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय – यूनिट 1, तीसरा तल, VIOS टावर, सेवरी चेंबूर रोड, वडाला टुक टर्मिनल के पास, सायन, मुंबई महाराष्ट्र -400 037 (Email ID: psba@psballiance.com; & support.ebkray@psballiance.com, संपर्क – टोल फ्री नंबर : +91 8291220220) द्वारा प्रदान की जाती है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी पोर्टल - <https://ebkray.in> के माध्यम से ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का परिचालात्मक सहायता मैनुअल, ई-बिक्रय पोर्टल eBKray portal (<https://ebkray.in>) से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं ।
4. इच्छुक प्रतिभागी/ निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://ebkray.in>) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2-3 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
5. विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ व ई-नीलामी के परिचालात्मक विवरण हेतु सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता (<https://ebkray.in>) है।
6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण,

केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।

7. अग्रिम धरोहर जमा राशि (EMD) का भुगतान चालान फार्म पोर्टल <https://ebkray.in> पर तैयार करने के पश्चात आनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर याने NEFT द्वारा निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। NEFT अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। अग्रिम धरोहर जमा राशि का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी EMD वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अग्रिम धरोहर जमा राशि (EMD) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के EMD वापस की जाएगी।
8. EMD (अग्रिम धरोहर जमा राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 21.12.2024 साँय 5.00 बजे तक**।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा। (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढ़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3516284713	AUTHORISED OFFICER REGIONAL OFFICE SAGAR	CBIN0281239 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सागर केंट, सागर (म.प्र)

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समयावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
16. सभी विक्रय प्राप्ति के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।

18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई हैं). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है. सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध सेवा प्रदाता पोर्टल <https://ebkray.in>, और www.centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा –**अशोकनगर (मो. 9755144198)**, से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी मो. 9522285811, क्षेत्रीय कार्यालय, सागर (म.प्र), ईमेल- recvsagaro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : सागर
दिनांक : 16.11.2024

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी